ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत पनोह में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कमलेश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती संतोष कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख़) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	11.22
2)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.07
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.07
4)	7.3	गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क से प्राप्त आय का सम्भावित दुरूपयोग	0.02
5)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.84
6)	8.2	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.35
7)	8.3	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.05
8)	8.4	निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.21
9)	9	अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क **₹4800** की वसूली (मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर संख्या 81) बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA556300 दिनांक 16/12/2022 द्वारा कर ली गई है।
2.	पैरा- 4	निर्णीत	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	पैरा- 5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में पुनः प्रारूपित।
4.	पैरा- 6.1	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुनः

			प्रारूपित।
5.	पैरा- 6.2	अनिर्णीत	
6.	पैरा- 6.3	अनिर्णीत	
7.	पैरा-7.1	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 में पुन: प्रारूपित।
8.	पैरा-7.2	अनिर्णीत।	
9.	पैरा-7.3	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-7.4	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-8.1	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-8.2	निर्णीत।	₹18766 की वसूली करके राशि को चालान संख्या HIMGRN B23H125305 दिनांक 28.08.2023 द्वारा राजकीय कोष में जमा करवा दिया गया है।
13.	पैरा-9	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।
14.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
15.	पैरा-11	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुन: प्रारूपित।

पैरों का सार	
31.03.2022 तक अनिर्णीत पैरे	15 (उप पैरों सहित)
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	10
कुल योग	25
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	8
31.03.2024 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	17 (उप पैरों सहित)

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31.08.2024 से 06.09.2024 तक ग्राम पंचायत पनोह के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	03/2023	01/2023
2023-24	07/2023	03/2024

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 755/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत पनोह द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊना के

बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 311642 दिनांक 23/09/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत पनोह द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 736/2024 दिनांक 03/09/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, 15वां वित्तायोग (Online) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	1610946	4835837.72	6446783.72	4846348.72	1600435
2	2023-24	1600435	3493391.64	5093826.64	3971392.64	1122434

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पनोह के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **शून्य** था :-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा **4(क)** का अंतशेष	1122434.00
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**1116509.00**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	5925.00
4)	**योग (2+3)**	**1122434.00**
5)	**अन्तर (4-1)**	**00.00**

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 736/2024 दिनांक 03/09/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 08/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹11.22 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 736/2024 दिनांक 03/09/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹1122434.00** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 736/2024 दिनांक 03/09/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 08/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 736/2024 दिनांक 03/09/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 08/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस

उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.07 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 736/2024 दिनांक 03/09/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 08/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹6820 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	33300	13125	46425	100	46325
2023-24	46325	26800	73125	66305	6820

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त

किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹6600** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	5000
2	2023-24	1600
	योग	**6600**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 743/2024 दिनांक 05/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 ₹0.02 लाख की प्राप्त आय का सम्भावित दुरूपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान **निम्न विवरणानुसार** रसीदों द्वारा गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹2095** की राशि प्राप्त की गई दर्शाई थी, लेकिन उक्त राशि को न तो रोकड़ बही के रोकड़ शेष में दर्शाया गया था तथा न ही बैंक में जमा करवाया गया था | फलस्वरूप उक्त **₹2095** की राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में जारी

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 754/2024 दिनांक 05/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त **₹2095** की वसूली करके राशि को बैंक में दिनांक 21.09.2024 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है | अतः भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पुनरावृति न की जाए।

क्रम संख्या	**रसीद संख्या**	**गृहकर से प्राप्त राशि (₹)**	**रोकड़ बही में दर्ज गई राशि (₹)**	**कम दर्ज की गई राशि (₹)**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्या**
1	6572 से 6600, 6601 से 6700, 6701 से 6767	3500+12350+ 8375=24225	23000+995 = 23995	230	38,40
2	6812 से 6823	1350	1330	20	42
3	6833 से 6900, 6901 से 6928	8700+3450= 12150	10880	1270	46
4	6401	50	00	50	--
5	6403 से 6405	525	00	525	---
			योग	**2095**	

7.4 निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया, कि पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** निर्धारित सीमा **₹1000** से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹1000** तक की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है | ग्राम

पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा निर्धारित दर से अधिक राशि नगद रखी गई | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 753/2024 दिनांक 05/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में इस बारे ध्यान रखा जाएगा | अतः भविष्य में उपरोक्त नियम अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	**मास**	**हस्तगत राशि ₹**
1.	08/2022	1022
2.	11/2022	1546
3.	01/2024	1650
4.	02/2024	1650
5.	03/2024	5925

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.84 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **सलंग्न परिशिष्ट "घ"** अनुसार **₹84090** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 748/2024 दिनांक 05/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया

गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

8.2 ₹0.35 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 01/2023 व 03/2024 में निम्न विवरणानुसार ₹35047 की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था| उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 747/2024 दिनांक 05/09/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया| प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी| अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

क्रमांक	शीर्ष का नाम	भुगतान माह	वाउचर / बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	15वें वित्तायोग	01/23	1659 01.12.22	Mata Ashtbhuja Enterprises Panoh	Paint material	11659
2	15वें वित्तायोग	03/24	820 01.01.24	M/S Sona Bricks Gram Udyog	Bricks	14600
3	15वें	03/24	820	M/S Sona Bricks	Bricks	6205

	वित्तायोग		01.01.24	Gram Udyog		
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	01/23	4835 25.01.23	Dhamija Electrical Store	Electricity material	2583
					योग	**35047**

8.3 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.05 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "ड."** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹266666** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹5333.32** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2022-23	Akash Steel sales VPO Panoh	Steel	266666	266666	5333.32 (2% x 266666)
				योग	**266666**	**5333.32**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 752/2024 दिनांक 05/09/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 09/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹5333.32** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए । अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.4 निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.21 लाख का अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 01/2023 में स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से करवाए गए **निम्नानुसार** निर्माण कार्य के अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री (सरिये) का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री अधिक जारी की गई थी तथा शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था | इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न विवरनानुसार** सामग्री को खपत से अधिक जारी

करने के कारण **₹21395.00** का अधिक भुगतान किया गया था, जिसमें से **₹17889** की वसूली दिनांक 31.03.2024 तक कर ली गई थी तथा **₹3506** वसूली हेतु शेष थे।

कार्य का नाम :- C/O Meeting hall in Panchayat Comm. Centre

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**सरिया (किलो ग्राम)**
587 33 to 35, 41 to 42 **Item no. 4**	Providing mild steel/ for steel reinforcement for RCC Work.	3298.25
	योग	**3298.25**
	ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 21 अनुसार जारी / खपत मात्रा	**3540.00**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री	241.75
	क्रय दर	88.5 (जी.एस.टी. सहित प्रति किलो ग्राम)
	अधिक भुगतान	**21395.00**
	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 45 दिनांक 21.11.23 अनुसार वसूली गई राशि	**17889.00**
	वसूली हेतू शेष राशि	**3506.00**

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 750/2024 दिनांक 05/09/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि

शेष राशि ₹3506 के अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली दिनांक 17/09/2024 को सम्बन्धित से करके निधि लेखे में जमा करवा दी गई है | जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से कर ली गई है |

8.5 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के सम्बन्ध में स्वयं लाभार्थी को सामग्री का क्रय करना होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula : **Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost** परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करते हुए **निम्न विवरणानुसार** सामग्री के रूप में **₹675** का अधिक भुगतान किया गया था | इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 744/2024 दिनांक 05/09/2024 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 09/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को मनरेगा खाता संख्या 4193000100031015 दिनांक 11.09.2024 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी जमा बारे पुष्टि कर ली गई है |

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	लाभार्थी को व्यय राशि (₹)	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि (₹)	लाभार्थी को अधिक भुगतान राशि (₹)
1	C/O Land levelling and plantation harmesh chand S/o Dhulumbu	(मस्ट्रोल संख्या 2601, 3677 व 4004) (12240+13920+5760= 31920 × 2/3 = 21280)	21955	21280	675
				योग	**675**

9 ₹1.04 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2024 में सलंग्न **परिशिष्ट "च"** में वर्णित कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत **₹103878** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण अधियाचना संख्या 745/2024 व 746/2024 दिनांक 05/09/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे । उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष को शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण दौरान पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 751/2024 दिनांक 05/09/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 09/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा |

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	Own & GIA (consolidated)	665 02.01.24	Paver	39676
2	Own & GIA (consolidated)	5583 11.12.23	Sand, Agg	13751
3	Own & GIA (consolidated)	5584 11.12.23	Sand, Agg	8184
4	Own & GIA (consolidated)	5801 27.12.23	Sand, Agg	34693

11 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 737/2024 दिनांक 03/09/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 09/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है| अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30

2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 736/2024 दिनांक 03/09/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 08/2024 दिनांक 06/09/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

O/C

5732- 5736 26 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)81/2023–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

26 NOV 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

O/C

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4क में संदर्भित

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खंड व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1610946	4835837.72	6446783.72	4846348.72	1600435
2	2023-24	1600435	3493391.64	5093826.64	3971392.64	1122434

Santosh Kumari
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पनोह
विकास खण्ड ऊना (हि0प्र0)

-18-

21

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खंड व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	652878	2079783	2732661	2141308	591353
2	2023-24	591353	2095379	2686732	2143458	543274

15वें वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	958068	1487999	2446067	1436985	1009082
2	2023-24	1009082	430862	1439944	860784	579160

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	1268055.72	1268055.72	1268055.72	0
2	2023-24	0	967150.64	967150.64	967150.64	0

Santosh Kumar
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पनोह
विकास खण्ड ऊना (हि0प्र0)

19 22

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	1122434.00
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**1116509.00**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	5925.00
4)	**योग (2+3)**	**1122434.00**
5)	**अन्तर (4-1)**	**00.00**

Santosh Kumari
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पनोह
विकास खण्ड ऊना (हि0प्र0)

परिशिष्ट क-1 पैरा संख्या ५ (iv) में संदर्भित

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB UNA (Own & GIA)	20013051496	537349.00
	Indian Bank Una (15th FC)	50521915742	579160.00
		योग	**1116509.00**
2		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	5925.00
		योग (1+2)	**1122434.00**

Santosh Kumar
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पनोह
विकास खण्ड ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट ख

पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	33300	13125	46425	100	46325
2023-24	46325	26800	73125	66305	6820

Santosh Kumari
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पनोह
विकास खण्ड ऊना (हि0प्र0)

परिशिष्ट 'ग'　　पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित

GRAM PANCHAYAT PANOH							738 Dated. 03/09/2024
DEV.BLOCK UNA DISTT. UNA(H.P.)							
क्रम सं.	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद सं.	वसूली योग्य राशी	वसूली गयी राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	arun kumar s/o mohan lal	11/5/2022	8/6/2022	6295	200	200	0
2	harinder kumar s/o ashok kumar	9/12/2021	23/07/2022	6402	400	400	0
3	Ravinder kumar s/o kamlesh kumar	13/08/2022	26/08/2022	6406	200	200	0
4	vishal sharma s/o Ganesh	20/11/2021	1/10/2022	6410	400	400	0
5	Hamant choudhary s/0 piara singh	27/09/2022	20/10/2022	6413	200	200	0
6	Akshay kumar s/o narinder kumar	27/9/2022	3/11/2022	6422	400	400	0
	Ajay kumar s/o Harmesh lal	12/8/2022	12/12/2022	6427	400	400	
7	vipan saini s/o amrit lal	7/9/2022	9/11/2022	6423	400	400	0
8	sanjeev kumar s/o Rakesh kumar	2/12/2022	14/12/2022	6425	200	200	0
9	Rajat verma s/o suresh kumar	2/12/2022	22/12/2022	6426	200	200	0
10	satpal singh s/o sukhdev singh	4/12/2022	23/01/2023	6437	400	400	0
11	Sandeep kumar s/o rakesh chand	10/2/2023	6/3/2023	6438	200	200	0
12	Anuj kumar s/o ravinder kumar	31/01/2023	7/2/2023	6442	200	200	0
13	Rajat kumar s/l krishan dev	8/12/2022	13/02/2023	6443	400	400	0
14	Rajneesh kumar s/0 Gyan prakash	15/01/2023	27/02/2023	6444	400	400	0
15	kuldeep singh s/o satpal singh	1/3/2023	23/03/2023	6446	200	200	0
16	Avneesh kumar s/o somnath	9/3/2023	28/03/2024	6447	200	200	0
17	Pradeep kumar s/o manohar lal	26/01/2023	20/04/2023	6450	400	400	0
18	pankaj kumar s/o onkar nath	29/05/2023	30/06/2023	6457	400	400	0
19	pradeep kumar s/o nirmal singh	26/09/2023	14/12/2023	6922	400	400	0
20	Ambika Devi d/o Kuldeep kumar	23/11/2023	19/02/2024	7101	400	400	0
			Total		6600	6600	0

Santosh Kumari
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पनोह
विकास खण्ड ऊना (हि0प्र0)

26

परिशिष्ट 'घ'　　　　　　　　　　पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	वाउचर / बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	15वें वित्तायोग	01/23	1659 01.12.22	Mata Ashtbhuja Enterprises Panoh	Paint material	11659
2	15वें वित्तायोग	03/24	278 29.02.24	Shushil Welding works Panoh	Steel	2720
3	15वें वित्तायोग	03/24	280 20.02.24	Shushil Welding works Panoh	Steel door frame	13280
4	15वें वित्तायोग	03/24	5821 13.03.24	Dhamija electrical store	Electricity material	3835
5	15वें वित्तायोग	03/24	1404 13.03.24	Lath Steel Traders Panoh	Steel	38932
6	15वें वित्तायोग	03/24	1937 01.02.24	Mata Ashtbhuja enterprises	PVC Pipe	4507
7	15वें वित्तायोग	03/24	1937 01.02.24	Mata Ashtbhuja enterprises	PVC Pipe	1157
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	01/23	72 03.10.22	Kamal Tent house VPO Upper basal	Tent rent	2000
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	01/23	---	Anil Kumar VPO Panoh	Window fitting labour	6000
					योग	**84090**

Santosh Kumari
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पनोह
विकास खण्ड ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट 'ङ' पैरा संख्या 8·3 में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत पनोह विकास खंड व जिला ऊना HP				
वित्तीय वर्ष 2022-23 में आकाश स्टील सेल्स को किए गए भुगतान का विवरण				
क्र.स.	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	बिल सं./दिनांक	राशि
1	आकाश स्टील सेल्स पनोह	42	139, 26.10.22	42000
2	आकाश स्टील सेल्स पनोह	42	140, 26.10.22	40950
3	आकाश स्टील सेल्स पनोह	42	141, 26.10.22	22416
4	आकाश स्टील सेल्स पनोह	64	158, 15.12.22	41250
5	आकाश स्टील सेल्स पनोह	64	159, 16.12.22	41250
6	आकाश स्टील सेल्स पनोह	64	161, 17.12.22	40780
7	आकाश स्टील सेल्स पनोह	64	161, 18.12.22	38020
			योग	266666
			2% जी.एस.टी.टी.डी.एस की कटौती	5333.32

Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

परिशिष्ट च **पैरा संख्या 9 में संदर्भित**

अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि	टिप्पणी
1	15वें वित्तायोग	46 03/24	C/O CSC & bathroom in shamshan ghat ward no 6	280 20.02.24	Door frame	13280	माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
2	15वें वित्तायोग	58 03/24	C/O CSC & bathroom in shamshan ghat ward no 6	शून्य	Shuttering	3000	यथोपरि
3	15वें वित्तायोग	59 03/24	C/O CSC & bathroom in shamshan ghat ward no 6	5821 13.03.24	Electricity material	3835	यथोपरि
4	15वें वित्तायोग	60 03/24	C/O CSC & bathroom in shamshan ghat ward no 6	1404 13.03.24	Steel	38932	यथोपरि
5	15वें वित्तायोग	72 03/24	C/O CSC & bathroom in shamshan ghat ward no 6	820 01.01.24	Bricks	14600	यथोपरि
6	15वें वित्तायोग	74 03/24	C/O CSC & bathroom in shamshan ghat ward no 6	5527 07.12.23	Agg	7853	यथोपरि
7	मनरेगा	-- 03/24	Land Dev. Lekh Raj	63 01.02.24	Plants	8029	मूल बिलों के स्थान पर वाउचर फाइल में छायाप्रतियां सलंग्न थी।

8	मनरेगा	-- 03/24	Land Dev. Suman Rattan	64 01.02.24	Plants	7279	यथोपरि
9	मनरेगा	-- 03/24	Land Dev. & Plantation Harmesh Chand	65 01.02.24	Plants	7070	यथोपरि
					योग	**103878**	

(Devraj)
Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

30

~~27~~